UPGK010028212026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1145/2026

आकाश जायसवाल पुत्र स्व० गोपाल जायसवाल उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम जंगल डुमरी नं०–2, थाना गुलरिहा, जनपद गोरखपुर।

.....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....**विपक्षी**

मु०अ०सं०–1008/2023
अंतर्गत धारा–354(क),354(ख),323,504,506 भा०दं०सं०
व धारा 3(1)द,ध,3(2)(va),3(1)(w)(i) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना–गुलरिहा, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक 16–06–2026

1. आवेदक/अभियुक्त **आकाश जायसवाल** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र विनय गुप्ता द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

2. अधिनियम की धारा–15(ए)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अनुपालन में वादी मुकदमा/पीड़ित पक्ष पर नोटिस का तामीला प्राप्त है।

3. अभियोजन कथानक सक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिनी कुमारी मैना पासवान (यूपी महिला पहलवान) ने जमीन लेने हेतु पूर्व प्रधान गोपाल जायसवाल के कार्य कलाप में ही हमने 003 डि जमीन का पैसा बतौर बयाना मु०–5,00000/– (पाँच लाख रूपये) कई किस्तों में दिया था। उक्त प्रधान गाँव के प्रधान थे मकान बनवा रहे थे दिनांक 02.11.2020 से दिनाक 16.07.2022 के अन्दर पाँच लाख दिया था और प्रधान ने अपना मोहर व हस्ताक्षर सबूत के तौर पर मुझे स्टाम्प व रसीद बना दिया। प्रार्थिनी को जमीन देने का अश्वासन देते रहे, लेकिन प्रधान की मृत्यु हो गयी, पैसे की जानकारी प्रधान के लड़कों को भी है, हमने कई बार प्रधान के घर पर पैसा था जमीन मांगने गयी तो हिल्ला हवाली करते रहे है। प्रार्थिनी को पैसा देने के लिए दिनांक 17.11.2023 कु मैना पासवान को शाम 05:00 बजे प्रधान का लड़का आकाश जायसवाल ने बुलाया और कहा कि बास स्थान पर चली आओ मैं पांच बजे इंतजार करती रही। तब शाम अन्धेरा हो गया और आकाश आया और मुझे पैसे का प्रलोभन देकर नदी के किनारे ले गया और मुझे जमीन पर पटक कर मेरे साथ अश्लील हरकत

करने का प्रयास करने लगा। मेरे विरोध करने पर मेरा मोबाइल भी छीन लिया और बुरी तरह से मारा पीटा और कहा कि फोन दे रहा हूँ लेकिन कहीं फोन नहीं करना मेरे खिलाफ यदि थाने पर गयी तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। प्रार्थिनी को निच जाति, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी घुड़की देते हुये मेरे चिखने चिल्लाने पर वहीं से फरार हो गया। उक्त व्यक्ति ने कहा कि एक ना एक दिन तुम्हारे साथ अपना हवश पूरा करने के बाद तुम्हारी लाश गायब कर दूंगा।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर लगाया गया आरोप असत्य एवं निराधार है। प्रार्थी को राजनैतिक द्वेषवश हैरान व परेशान करने की नीयत से अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है जैसा कि वादिनी मुकदमा द्वारा अपने मुकदमे में आरोप लगाया गया है। प्रार्थी के पिता जी द्वारा वादिनी मुकदमा से कोई पैसा नहीं लिया गया है न ही कोई जमीन वादिनी मुकदमा को देने को कहा था। और न ही कोई स्टाम्प या रसीद बनाया है न ही कोई स्टाम्प पर रसीद पत्रावली में दाखिल नहीं है। वादिनी मुकदमा द्वारा कोई कागजात पैसा लेने या देने के सम्बन्ध में पत्रावली में दाखिल नहीं है और न ही विवेचना के दौरान विवेचक को ही दिया है न ही विवेचक द्वारा केस डायरी में ही जिक्र किया गया है। वादिनी मुकदमा द्वारा कोई पैसा प्रार्थी के पिता जी को नहीं दिया गया था उसकी जानकारी न तो हमे है और न ही घर के किसी भी सदस्य को ही है। पिता जी जीवित रहते घर के किसी भी सदस्य को कभी भी वादिनी मुकदमा के उक्त लेने देन के बारे में नहीं बताया था। वादिनी मुकदमा ग्रामसभा के विरोधियो के द्वारा चढ़ाने व उकसाने के आधार पर तथाकथित कहानी बनाकर फर्जी मुकदमा कायम करायी है। वादिनी मुकदमा उ०प्र० महिला पहलवान है तथा इसकी उम्र 28 वर्ष है तथा प्रार्थी की उम्र लगभग 21 वर्ष है। हम प्रार्थी से काफी हिष्ट पुष्ट तथा बलवान है। प्रार्थी वादिनी मुकदमा को कैसे मार सकते व पटक सकते है पुरी कहानी काल्पनिक व मनगढंत है। वादिनी मुकदमा अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट व अपने बयान में कही भी जातिसूचक शब्द नही बतायी है पासनी व चमाईन अधिनियम में कही परिभाषित नहीं है। प्रार्थी के उपर धारा–3 (1) द, 3 (1)ध व 3(2) (va) व 3(1)(W),(i) का अपराध हमारे ऊपर नहीं बनता है। प्रार्थी वादिनी मुकदमा के साथ न ही छेड़छाड़ किया था न ही मारपीट व न ही गाली गुप्ता दिया था। वादिनी मुकदमा काफी विलम्ब से राय मशविरा लेकर मुकदमा दर्ज करायी है। प्रार्थी जुर्म दफा 7 वर्ष से कम है तथा प्रार्थी विवेचना में पूर्ण सहयोग किया है तथा धारा 41 सी०आर०पी०सी० नोटिस का तामिला विवेचक द्वारा कराया गया है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आवेदक/अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुख्य रूप आरोप लगाया गया है कि आवेदक/अभियुक्त के पिता द्वारा वादिनी से जमीन देने के नाम पर मु० 5,00,000/– (पाँच लाख) रुपया लिया गया था। अभियुक्त के पिता की मृत्यु हो जाने पर वादिनी अभियुक्त से अपना पैसा मांगने गयी तो अभियुक्त ने

वादिनी मुकदमा को जातिसूचक शब्दों अपमानित करते हुए गाली गुप्ता दिया, मारा पीटा, जमीन पर पटककर अश्लील हरकत किया और जान से मारने की धमकी दिया। चिकित्सीय रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा आहत को आई सभी चोटें साधारण प्रकृति की बतायी गयी हैं। प्रस्तुत प्रकरण में सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत प्रकरण में अंतरिम जमानत पर है, जिसका उसके द्वारा दुरूपयोग नहीं किया गया है।

8. अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अंतिल प्रति केन्द्रीय ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन व अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773 में दिये गये आधार पर तथा** उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

9. आवेदक/अभियुक्त **आकाश जायसवाल** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र (**संख्या–1145/2026**) स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा **मु0–50,000/–** रूपये का निजी बंधपत्र व समान धनराशि की दो सक्षम प्रतिभूं न्यायालय में दाखिल करने पर न्यायालय की संतुष्टि पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन अंडरटेकिंग देने पर रिहा किया जाये कि–

1- आवेदक/अभियुक्त, विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

2- आवेदक/अभियुक्त, वादी मुकदमा पक्ष पर किसी भी प्रकार से कोई दबाव नहीं बनायेगा और न ही गवाहों को डरायेगा, धमकायेगा।

3- आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार का कोई विवाद भविष्य में कारित नहीं करेगा।

4- आवेदक/अभियुक्त किसी भी विवाद में संलिप्त नहीं होगें यदि आवेदक/अभियुक्त किसी विवाद में संलिप्त पाये जाते हैं तो उनकी जमानत निरस्त किये जाने हेतु न्यायालय स्वतंत्र है।

दिनांक 16.06.2026

(प्रतीक्षा नागर)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।
I.D. No.–UP02399

Digitally signed by PRATIKSHA NAGAR
Date: 2026.06.16 16:52:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court